☎ 05947–274798

पं० गोविन्द बल्लभ पन्त इण्टर कॉलेज, काशीपुर (ऊ० सिं० न०)

पत्रांक – पी–20/2022–23 दिनांकः 14.02.2023

सेवा में,

श्री अजय शंकर कौशिक
प्रधानाचार्य (कार्यमुक्त)
पं.गो0ब0 पन्त इ0 कॉलेज
काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)

विषय : प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने विषयक।

महोदय,

आपके पत्रांक दिनांक 10.02.2023 के सापेक्ष में आपकी जानकारी क लिए प्रतिउत्तर निम्नानुसार हैं –

1. दिनांक 01.02.2023 (पत्रांक संख्या पी/2/2023 प्रतिलिपि संलग्न) को कॉलेज में कार्यरत श्री हुकुम सिंह (चौकीदार) द्वारा आपको पत्र एवं कारण बताओ नोटिस भेजा गया था जिसको आपकी पत्नी ने लेने से इंकार कर दिया। उक्त दोनों पत्रों को भारतीय डाक सेवा की स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजा गया था। परन्तु उक्त पत्र/नोटिस पोस्टमेन द्वारा क्रमशः दिनांक 02, 03, 04, 06 एवं 07 फरवरी 2023 को आपके घर देने पहुँचा इसके बावजूद भी वह पत्र आपके या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा लेने से इंकार करने की दशा में प्रबन्धक के पास दिनांक 10/02/2023 (स्पीड पोस्ट लिफाफे की संज्ञान हेतु प्रतिलिपि संलग्न) को पुनः वापिस आ गया। अगर आप दिये गये समय पर समिति के समक्ष उपस्थित होते हो तो आपकी उपस्थिति में प्रिंसिपल ऑफिस का ताला खोल दिया जाता। आपके द्वारा लगाया हुआ ताला जिसकी चाबी आपके पास है सुरक्षित है, उसके ऊपर समिति ने एक और नया ताला लगाकर इसकी वीडियोग्राफी करते हुए सील किया था। यह सील हमने इसलिए लगाई थी कि जब आपको विद्यालय आने के अनुमति दी गई थी तो आपने डुप्लीकेट रजिस्टर तैयार करवाने शुरु कर दिये थे। जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आप इस जांच समिति में सहयोग करने के इच्छुक नहीं है।

2. दिनांक 07.02.2023 (पत्रांक संख्या पी–12/2022–23 प्रतिलिपि संलग्न) को पुनः एक पत्र हुकुम सिंह (चौकीदार) एवं कोरियर सेवा द्वारा भेजा गया था। आपके दिनांक 10.02.2023 के पत्र के अनुसार वह आपकी पत्नी द्वारा प्राप्त किया गया। इस पत्र के संदर्भ में भी यह सूचित करना है कि आपको दिनांक 08.02.2023 को अपराहन 3:00 बजे गठित जांच समिति के समक्ष उपस्थित होना था। परन्तु आप लगभग दोपहर 1:15 मिनट पर कार्यालय में उपस्थित हुए और गेट पर ही गार्ड और प्रमोद जी से अभद्रता की जिसकी रिकॉर्डिंग कॉलेज गेट पर लगे कैमरों में उपलब्ध है। जबकि प्रमोद जी द्वारा आपको सूचित किया गया कि आपको अपराहन 3:00 बजे उपस्थित होना है परन्तु आप जाँच में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए। आपको मेरे द्वारा (प्रबन्धक) लिखित में भी दिया गया कि आप अपराहन 3:00 बजे उपलब्ध हों। (प्रतिलिप संलग्न) इससे पुनः स्पष्ट हो रहा है कि आप प्रबन्ध समिति को जॉच मे सहयोग करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है।

3. उपरोक्त पत्रांक (आपके द्वारा) में आपने यह भी सूचना दी है कि आप कॉलेज में रोज प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु कॉलेज गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी द्वारा आपको विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जो कि न्याय की दृष्टि से तर्कसंगत है क्योंकि जांच समिति का गठन आपके पुत्र के विषय से सम्बन्धित है। अतः निष्पक्ष जांच के लिए यह उचित है कि आप जांच समिति की कार्यवाही के पूर्ण होने तक कार्यमुक्त (Duty Leave) पर रहें एवं जांच समिति के सम्मुख केवल बताये गये समयानुसार ही उपस्थित हों ताकि जांच समिति के सभी सदस्य उपलब्ध रहें और अपना पक्ष साक्ष्यों के साथ उपलब्ध करा सकें।

4. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच समिति दिनांक 06.02.2023 को आप विद्यालय में दोपहर 2:00 बजे उपस्थित हुए जबकि उसी दिन खण्ड शिक्षा अधिकारी को 11:30 बजे सूचित कर दिया गया था कि प्रबन्धक व्यक्तिगत कार्य से बाहर हैं एवं दिनांक 07.02.2023 को जांच समिति में सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी लगभग अपराहन 2:45 पर कॉलेज में पहुंचे तो उनको भी यही सूचना और खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त रिसीविंग भी दिखाई गयी (जिसमें कहा गया था कि प्रबन्धक आज उपलब्ध नहीं हैं)।

अतः आपके द्वारा लगाया गया यह आरोप बिल्कुल निराधार है एवं इसकी रिकोर्डिंग कॉलेज गेट पर कैमरों द्वारा उपलब्ध है।

5. आपको पुनः एक पत्र 09.02.2023 (पत्रांक संख्या पी–16/2022–23 प्रतिलिपि संलग्न) को अन्तिम अवसर के रूप में हुकुम सिंह (चौकीदार) द्वारा एवं कोरियर सेवा द्वारा प्रेषित किया गया था जिसकी रिसीविंग आपकी पत्नी द्वारा की गई (प्रतिलिपि संलग्न) एवं इस पत्र के अनुसार आपको दिनांक 10.02.2023 को अपराहन 3:00 बजे कॉलेज परिसर में जांच समिति के सम्मुख प्रस्तुत होना था परन्तु आपने पुनः एकबार प्रातः लगभग 10:00 बजे आकर कॉलेज में प्रवेश का प्रयास किया। जिसकी रिकोर्डिंग एवं कॉलेज पर तैनात कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आप किसी भी प्रकार से प्रबन्धक कार्यकारिणी द्वारा गठित जांच समिति को सहयोग करने के लिए समयानुसार कभी भी उपलब्ध नहीं रहे। अतः उपरोक्त के संज्ञान में जांच समिति ने अपनी आख्या को प्रबन्ध कार्यकारणी के सम्मुख प्रस्तुत किया तदउपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस आख्या को सम्बन्धित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, जिला अधिकारी, पुलिस जांच अधिकारी को प्रेषित कर रही है एवं आगे आपको पं0गो0ब0 पन्त इ0 कॉलेज में आपकी सेवाओं से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

(डॉ. एस. के. शर्मा)
प्रबन्धक
संयोजक, जांच समिति
पं.गो.ब.पंन्त इण्टर कॉलेज
काशीपुर (ऊ.सिं.नगर)

संलग्नक :

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को भेजे गये पत्र की छायाप्रति।
2. पत्रांक संख्या पी/2/2023, दिनांक 01.02.2023 की छायाप्रति।
3. पत्रांक संख्या पी–12/2022–23, दिनांक 07.02.2023 की छायाप्रति।
4. पत्रांक संख्या पी–16/2022–23, दिनांक 09.02.2023 की छायाप्रति।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. महानिदेशक शिक्षा विभाग, ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. अपर निदेशक माध्यमिक, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी, काशीपुर।